

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 18, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2011

क्र. एफ-1-10-2009-चौवन-1.—राज्य शासन पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण योजना-2007 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करता है.

यह नियम पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण योजना-2007 संशोधित नियम, 2011 कहलाएंगे. संशोधित योजना नियम नियमानुसार रहेंगे:—

1. **सामान्य.**—पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियां आर्थिक कठिनाइयों के कारण नियोजन की मांग के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित विभिन्न तकनीकी/व्यवसायिक एवं सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षण ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे वे रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं. इसलिए राज्य शासन द्वारा उनके कौशल विकास हेतु निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की योजना तैयार की गई है. राज्य शासन ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये उनको शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी, अनुभव एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगा ताकि उनके रोजगार के अवसर प्रबल हो सकें.
2. **उद्देश्य.**—योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को विविध रोजगारोन्मुखी/कौशल विकास के निःशुल्क प्रशिक्षण संचालित कर उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार में स्थापित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें.
3. **योग्यताएँ एवं पात्रता.**—
 - 3.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.
 - 3.2 राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग जाति समुदाय का हो.
 - 3.3 योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे:—
 - (अ) शिक्षित बेरोजगार/शाला त्यागी (ड्रॉपआउट).
 - (ब) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थी/मजदूर जो कौशल उन्नयन बढ़ाना चाहते हों.
 - 3.4 अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होगी.
 - 3.5 अभ्यर्थियों की आयु सीमा 16 वर्ष से 35 वर्ष अथवा पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित आयु सीमा मान्य होगी.
 - 3.6 अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित आय-सीमा के अनुसार हो.
 - 3.7 इस योजना के तहत किसी अभ्यर्थी विशेष द्वारा कोचिंग/प्रशिक्षण का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, चाहे अवसरों की संख्या कितनी ही हो.
 - 3.8 योजना में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को पात्रतानुसार विभाग की छात्रगृह सुविधा का लाभ प्राप्त होगा. योजना में प्रशिक्षण हेतु 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.
4. **प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेन्सी.**—यह योजना मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित होगी. उक्त निगम इस योजना की नोडल एजेन्सी होगा.
5. **प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन.**—प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित होगी जिसमें विभागाध्यक्ष, प्रबंध संचालक, म. प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, संचालक, पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं नामांकित दो तकनीकी विषय विशेषज्ञ जिसमें एक तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अधिकारी होंगे.

- 5.1 प्रशिक्षण संस्थाओं के चयन हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी एवं चयन समिति द्वारा ऐसे प्रशिक्षण संस्थाओं एवं केन्द्रों का चयन किया जाएगा जो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलाकर प्रशिक्षणार्थियों को शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार में स्थापित कर सके.
- 5.2 प्रशिक्षण संस्थाओं के चयन के पूर्व प्रशिक्षण की योजना के नियम/शर्तों का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर किया जाएगा.
- 5.3 प्रतिवर्ष ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण शुल्क एवं उनमें सीट का निर्धारण भी इस समिति द्वारा किया जाएगा.
6. **प्रशिक्षण के विषय.**—निःशुल्क प्रशिक्षण के अन्तर्गत ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित किये जाएंगे जिससे रोजगार प्राप्ति की प्रबल संभावना हो यथा बैंकिंग/बीमा/रेल्वे, राज्य लोक सेवा आयोग आदि की प्रवेश परीक्षाएं, आई.टी. एवं कम्प्यूटर से संबंधित विषय, बी.पी.ओ., कॉलसेन्टर, हॉस्पिटलिटी, टूरस एण्ड ट्रेवल्स, रिटेल सेल एवं मार्केटिंग, एयर होस्टेज, सिव्युरिटी फोर्सेस, एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. एवं एम.ई.एस. स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत विविध रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण अथवा अन्य ऐसे सामयिक प्रशिक्षण/प्रमाणित पाठ्यक्रम जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा सीधे अथवा एन.जी.ओ. के माध्यम से संचालित किए जाते हों तथा जिनसे प्रशिक्षण उपरान्त निकट भविष्य में रोजगार उपलब्ध होने की संभावना हो.
7. **प्रशिक्षण की अवधि.**—प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी किन्तु पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है.
8. **प्रशिक्षणार्थियों का चयन.**—प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर एवं पात्रतानुसार मेरिट के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा. उक्त चयन समिति में एक विभागीय अधिकारी, एक विषय विशेषज्ञ एवं संस्था प्रमुख सम्मिलित होंगे.
9. **प्रशिक्षण संस्थानों की पात्रता.**—इस योजना के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिये ऐसे प्रतिष्ठित एन.जी.ओ./स्वयं सेवी संस्थान पात्र होंगे जो विविध रोजगारोन्मुखी, व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण देने आदि गतिविधि में संलग्न हो जो की एक न्यास, कंपनी अथवा सोसायटी एक्ट, भागीदारी फर्म आदि के अन्तर्गत पंजीबद्ध हो तथा जो निम्नांकित शर्तों को पूरी करते हो—
- (अ) संबंधित एन.जी.ओ./स्वयं सेवी संस्था का पंजीयन एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत अथवा एम.ई.एस. योजना में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (V.T.P.) के रूप में पंजीबद्ध हो.
- (ब) उच्च गुणवत्ता/आई.एस.ओ. प्राप्त ऐसे संस्थान जो वित्तीय रूप से सक्षम है, को प्राथमिकता.
- (स) संस्थान के पास संबंधित विषय में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रदान करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.
- (द) संस्थान के पास प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिये आवश्यक परिसर, पुस्तकालय, प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षित स्टाफ जैसी आवश्यक अधोसंरचना हो.
- (इ) चयन हेतु संस्थानों की सफलता की दर को ध्यान में रखा जाएगा इस प्रयोजन के लिये विगत तीन वर्षों की सफलता/प्लेसमेंट की औसत पर विचार किया जा सकता है. अधिक सफलता दर वाले कोचिंग संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- (ई) प्रशिक्षण हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से लगभग 40 प्रतिशत सफलता /प्लेसमेंट की अपेक्षा की जाती है.

- 9.1 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा स्थापित आर्गेनाईजेशन/इन्स्टीट्यूट जो रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करते हो.
- 9.2 केन्द्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड/टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड/मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थाएं जो डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करते हो.
- 9.3 केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान.
- 9.4 निजी क्षेत्र के पंजीकृत ऐसे उपक्रम/संस्थान/कम्पनी जो तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त स्वयं के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन/रोजगार देने में सक्षम हो.
- 9.5 शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय क्षेत्र की सेवाओं, यथा लोकसेवा आयोग, रेल्वे, बैंकिंग बीमा, कर्मचारी चयन आयोग आदि की प्रदेश परीक्षाओं तथा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल आदि प्रवेश परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण विभाग के संस्थान "पिछड़ा वर्ग राज्यस्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल" के माध्यम से मुख्यालय एवं मुख्यालय के बाहर संचालित किये जाएंगे.
10. **अनुबंध.**—प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्था को नोडल एजेन्सी के साथ एक अनुबंध पत्र का निष्पादन करना होगा जिसमें प्रशिक्षण की विभिन्न शर्तों का उल्लेख होगा एवं इसमें विशेषतः प्रशिक्षण अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान बाबत कण्डिकाओं का समावेश आवश्यक रूप से किया जाएगा.
11. **अभिलेखों का संधारण.**—प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण हेतु प्रवेशित उम्मीदवारों का सभी आवश्यक ब्यौरा, प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक सभी अभिलेख वित्तीय ब्यौरा, प्रशिक्षण से संबंधित फोटोग्राफ/विडियो रिकार्डिंग आदि विभाग के निर्देशानुसार संधारित करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी मूल अभिलेख अथवा उनकी प्रमाणित प्रतियां चाही जाने पर अथवा निरीक्षण के समय उपलब्ध कराएगा एवं कार्योपरान्त प्राप्त राशि का विस्तृत उपयोगिता प्रमाण-पत्र, प्लेसमेंट की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा.
12. **मूल्यांकन.**—विभागाध्यक्ष/प्रबंध संचालक, म. प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा समय-समय पर योजना का निरीक्षण एवं वर्ष में एक बार योजना का मूल्यांकन कराया जाएगा तथा प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा तथा इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों के लिये प्रशिक्षण/संस्थाओं का चयन किया जाएगा.
13. **प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों का निर्धारण.**—योजना नियमों के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संचालित करने हेतु आवश्यक प्रपत्रों आदि का निर्धारण एवं समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश विभागाध्यक्ष/नोडल एजेन्सी द्वारा जारी किये जा सकेंगे. ताकि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2011

एफ-1-1-2005-दो-(3).—राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अध्याय-एक सामान्य के नियम 2. परिभाषाएं (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए—

“भोपाल से अभिप्रेत है भोपाल नगर निगम का सीमा क्षेत्र एवं कोलार नगरपालिका परिषद् का क्षेत्र”.

2. अध्याय-एक सामान्य के नियम 2. परिभाषाएं (18) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए—

“अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निजी आवासों से अभिप्रेत है किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व का ऐसा आवासीय भवन या उसका कोई हिस्सा, जो भोपाल नगर निगम क्षेत्र एवं कोलार नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में स्थित हो.”

3. अध्याय-दस के नियम 37 (2) (क) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए—

“जिन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित हैं और उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई निजी मकान भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र एवं कोलार नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में नहीं है तो उनसे लायसेंस शुल्क भूलभूत नियम, 45 “ए” के अधीन लिया जाएगा.”

4. अध्याय-दस के नियम 37 (2) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए—

“37 (2) (ख) जिन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भोपाल नगर निगम क्षेत्र एवं कोलार नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में स्वयं या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम निजी मकान हैं तो उनसे लायसेंस शुल्क मूलभूत नियम, 45 “बी” के अधीन लिया जाएगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेन्द्र उपाध्याय, उपसचिव.